48

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–532–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 04–03–2015 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 28/2013–14/अ–27

.....

1– हंसराज पुत्र ग्यारसा माली
2– पप्पू पुत्र ग्यारसा माली
3– बद्रीबाई पत्नी ग्यारसा माली
निवासीगण–ग्राम सोईकलॉ तहसील व जिला–श्योपुर

–––––आवेदकगण

विरूद्ध

1– उर्मिला पुत्री कन्हैयालाल
2– परसराम पुत्र ग्यारसा
3– कैलाश पुत्र ग्यारसा माली
निवासीगण–ग्राम सोईकलॉ तहसील व जिला–श्योपुर

.....अनावेदकगण

.....

श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री ए0के0 अग्रवाल, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11.01.2018 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय तहसीलदार तहसील श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–03–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम हरपुरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 90 रकबा 0.52 हैक्टर, सर्वे क्रमांक 91 रकबा 0.62 हैक्टर, सर्वे क्रमांक 98 रकबा 0.63

हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.77 हेक्टर का अनावेदक क्र0 1 संहिता की धारा 178 के अंतर्गत खाते विभाजन किये जाने का आवेदन तहसीलदार श्योपुर के समक्ष प्रस्तुत किया । आवेदकगण ने तहसील न्यायालय में आदेश 1 नियम 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का आवेदन पेश किया । तहसीलदार ने अपने प्रकरण क्रमांक 28/2013–14/अ–27 में पारित आदेश दिनांक 04.03.2015 से आवेदकगण का आदेश नियम 10 व्यवहार संहिता का आवेदन निरस्त किया तथा प्रकरण अनावेदक क्र0 2 व 3 के प्रतिपरीक्षण के लिये किया । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये ।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम हरपुरा स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 90 रकबा 0.52 हैक्टर, सर्वे क्रमांक 91 रकबा 0.62 हैक्टर, सर्वे क्रमांक 98 रकबा 0.63 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.77 हेक्टर भूमि अनावेदकगण के संयुक्त खाते की भूमि है। उक्त भूमि के मूल भूमिस्वामी स्व0 ग्यारसा माली थे, किन्तु उनकी मृत्यु पश्चात संयुक्त खाते की भूमि के विभाजन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त भूमि संयुक्त खाते की है और खाते में अंकित भूमिस्वामियों में यदि कोई एक भूमिस्वामी अपने अंश का विभाजन करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में वह खाता विभाजन के लिये तहसील न्यायालय में आवेदन कर सकता है। चूँकि अनावेदकगण ने अपने संयुक्त खाते की अंश के विभाजन हेतु संहिता की धारा 178 के तहत आवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया है। आवेदकगण द्वारा आदेश 1 नियम 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का आवेदन तहसील न्यायालय में पेश कर पक्षकार बनाये जाने तथा विभाजन प्रक्रिया को रोकने बावत् प्रस्तुत आवेदन को तहसीलदार ने इस आधार पर निरस्त किया है कि भूमिस्वामियों के मध्य ही विभाजन हो सकता है। प्रकरण 02.08.2011 से संस्थित था और आवेदकगण को पर्याप्त अवसर था कि वे स्वत्व संबंधी कोई भी प्रश्न था तो उसे सिविल न्यायालय से विनिश्चय करा सकते थे, किन्तु आवेदकगण द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई । जब किसी वरिष्ठ न्यायालय से इस प्रकरण में कोई स्थगन नहीं है तो विभाजन की प्रक्रिया को रोका जाना न्यायासंगत प्रतीत नहीं होता है। इसी कारण तहसीलदार ने आवेदकगण द्वारा आदेश 1 नियम 10

व्यवहार प्रक्रिया संहिता का आवेदन को निरस्त कर प्रकरण अनावेदक क्र0 2 व 3 के प्रतिपरीक्षण हेतु नियत किया है । संयुक्त भूमिस्वामियों को ही भूमि के विभाजन का अधिकार प्राप्त होता है। अतः तहसीलदार श्योपुर के आदेश में कोई अवैधानिकता एवं अनियमितता प्रकट नहीं होती है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है तथा तहसीलदार श्योपुर का आदेश दिनांक 04.03.2015 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,